

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय, पिपरी-सोनमद्र

पत्रांक : ८८४ / क०नि०ख०-३, पि० / रेनुकूट /

/दिनांक २५.१२. २०१९

सेवा में,

प्रमाणीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वनप्रभाग,  
रेनुकूट सोनमद्र।

विषय:

जनपद-सोनमद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की १०३.६७५ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक १८२८२ वृक्षों का पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की २३.४८८७ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक २९२८ वृक्षों का पातन अर्थात् कुल १२७.१६३७ हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक २१२१० वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ:

- १- क्षेत्रीय सशक्त समिति (आर.ई.सी.) की बैठक दिनांक २६.११.२०१९ की कार्यवाही (आर.ई.सी. एजेण्डा आइटम ४२.५ यू.पी.)
- २- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र सं०-८६१/यू०पी०/०२/३१/२०१८/एफ.सी./४२५ दिनांक २८.११.२०१९
- ३- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-१०८५/११-सी-फप/UP/Irr/20269/2016, लखनऊ दिनांक २९.११.२०१९
- ४- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२, लखनऊ का पत्र संख्या-भा०स०-१६६/८१-२-२०१९-८००(११८)/२०१७ लखनऊ दिनांक १७.१२.२०१९
- ५- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र सं०-१२२०/११-सी-एफ०पी०/यू०पी०/Irr/00269/2016 दिनांक १९.१२.२०१९
- ६- आपका पत्र सं०-२१०४/रेनुकूट/१५-११७ रेनुकूट, दिनांक १९.१२.२०१९

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में क्षेत्रीय सशक्त समिति की ४२वीं बैठक एवं आप द्वारा मांगी गयी सूचना विन्दुवार आख्या निम्नवत है:-

| क्र०सं० | बिन्दु                                                                                                                                                                                                                                                                                 | आख्या                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १-      | The test check of KML files of degraded forest areas proposed for compensatory afforestation reveals some discrepancies which must be sorted out after detailed analysis to ensure that total areas suitable for plantation does not fall below the total requirement of 1295 hectare. | कनहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चयनित रेनुकूट वनप्रभाग की ८००.०० हे० एवं ओबरा वनप्रभाग के ४९५.०० हे० अवन्त वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र पुनः निर्गत किया गया है जो संलग्न है।                   |
| २-      | The submission of CAT plan is a part of diversion of forest land for Kanhar Irrigation Project sanctioned must earlier and it requires approval of the ministry which should be taken up separately by the State Government.                                                           | कनहर सिंचाई परियोजना का CAT plan राज्य सरकार से अनुमति हेतु प्रक्रिया पृथक रूप से की जा रही है।                                                                                                                            |
| ३-      | क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु दुद्धी रेंज के अन्तर्गत चयनित अवन्त वन क्षेत्र के संबंध में जी०ओ० रेफरेन्स मानचित्र, एवं टोपोशीट के के०एम०एल० फाईल आदि की पांच-पांच प्रतियाँ।                                                                                                                   | क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु दुद्धी रेंज के अन्तर्गत चयनित बहराडोल, पूर्वी क०न०-३, बहराडोल, पश्चिमी क०न०-३, हाथीनाला पश्चिमी, क०न०-१ की जी०ओ० रेफरेन्स मानचित्र, एवं टोपोशीट के के०एम०एल० फाईल पांच-पांच प्रतियाँ में संलग्न है। |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4- | प्रकरण में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु वगनी एवं विण्डमगंज रेंज में उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वन भूमि के संबंध में ग्रामवार/गाटावार क्षेत्रफल सहित विवरण एवं उत्तर प्रदेश दिनांक 28 जून 2019 द्वारा मांगे गये वांछित प्रमाण-पत्र अभिलेखों सहित पांच-पांच प्रतियों में उपलब्ध करायी जाय ताकि उसे उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार की सेवा में प्रेषित की जा सके। | क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु वगनी एवं विण्डमगंज रेंज में उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वन भूमि के संबंध में ग्रामवार/गाटावार क्षेत्रफल सहित विवरण एवं उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-वी0आई0पी0-23/14-2-2019-190 जी/2018 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा मांगे गये वांछित प्रमाण-पत्र अभिलेखों सहित पांच-पांच प्रतियों में संलग्न है। |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

संलग्नक-उपरोक्तानुसार-पांच प्रतियों में।

  
अधिशाली अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनमद्र

पत्रांक: /क0नि0ख0-3,पि0/वनभूमि/तदिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
1-मुख्य अभियन्ता, कनहर सिंचाई परियोजना, विन्ध्याचल, मीरजापुर।  
2-अधीक्षण अभियन्ता, कनहर निर्माण मण्डल पिपरी सोनमद्र।

  
अधिशाली अभियन्ता  
कनहर निर्माण खण्ड-तृतीय  
पिपरी-सोनमद्र